

06 ⁰⁹/₂₁

प्राची के अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्राची द्वारा प्राचीना-पत्र प्रस्तुत कर निगतानी प्राचीना-पत्र विशाल द्वारा खारिज करने का निवेदन किया।

अतः प्राची का निगतानी प्राचीना-पत्र इस शर्त के साथ जारी विश खारिज किया जाता है कि प्राची पुनः इन्हीं तथ्यों एवं तथ्य कारण के साथ नया निगतानी प्राचीना-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। फावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल पफार हो। अधिनस्थ ग्राम पंचायत की अधिवक्ता लौराया जावे।

low
जिला कलक्टर
बाडमेर